

आनन्द कुमार नायक

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

१/१

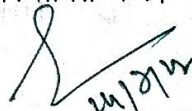
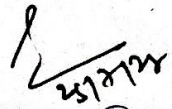
आदेश-पत्रक

आरक्षित राज्य सरकार

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

वाद सं०- २९/२०२५-२६ (LRDC, बेरमो (तेनुघाट) के अपील वाद सं०-385/2024-25 से उद्धरित)

केश का प्रकार- विविध वाद (नामांतरण)

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
24/07/2025	न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) के नामांतरण अपील वाद सं०-385/2024-25 में दिनांक-03.04.2025 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक आनंद कुमार नायक, पिता-स्व० कन्हाई राम नायक, ग्राम-पलिहारी गुरुडीह, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो के द्वारा नामांतरण वाद सं०-1218/2023-24 स्वीकृति करते हुए प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारीज करने का अनुरोध किया गया है। भूमि की विवरणी <table><tr><th>मौजा</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>आवेदित रकवा</th></tr><tr><td rowspan="2">पलिहारी गुरुडीह</td><td rowspan="2">58</td><td>146</td><td>09 डी०</td></tr><tr><td>148</td><td>06 डी०</td></tr></table> अभिलेख दिनांक 25/07/2025 को उपस्थापित करे।  अंचल अधिकारी, गोमिया। अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित है। Pw up on 18/08/2025  अंचल अधिकारी, गोमिया।	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	आवेदित रकवा	पलिहारी गुरुडीह	58	146	09 डी०	148	06 डी०	
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	आवेदित रकवा									
पलिहारी गुरुडीह	58	146	09 डी०									
		148	06 डी०									

25/07/2025

18/08/25

अगिलेव उपस्थानपत्र। आवेदक अनुपस्थित
है। अपीलकर्ता के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत
रहने के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के
सका। To 18/09/2025

18/09/25
अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत

10/09/2025

अगिलेव उपस्थानपत्र। आवेदक अनुपस्थित
है। अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत के
रहने के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के
सका। To 03/10/2025

10/10/25
अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत

03/10/2025

अगिलेव उपस्थानपत्र। आवेदक अनुपस्थित
है। अपीलकर्ता के अन्तर्गत के अन्तर्गत के
रहने के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के
सका। To 10/10/2025

10/10/25
अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत

10/10/2025

अगिलेव उपस्थानपत्र। आवेदक अनुपस्थित
है। अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत के
रहने के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के
सका। To 17/10/2025

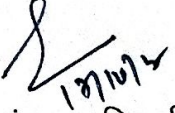
10/10/25
अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत

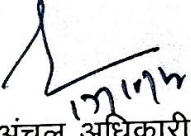
11/01/2025

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक पिछले 04 (चार) तिथियों से अनुपस्थित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) के आदेश के अनुपालन में अब तक आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी आवेदक का अनुपस्थित रहना एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत नहीं करना उनके इस वाद में रूची के अभाव को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में नामांतरण वाद सं०-1218/2023-24 को पुनः अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
गोमिया।


अंचल अधिकारी
गोमिया।